न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 675–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–02–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 328/अपील/2013–14.

.....

1–सुरेश पुत्र स्व.बृजलाल
2–फूलसिंह पुत्र स्व.बृजलाल
3–जमना पुत्र स्व.बृजलाल
4–बसंता पुत्री स्व.बृजलाल
5–सत्वो पुत्री स्व.बृजलाल
6–श्रीमती हरबोबाई पत्नी स्व.बृजलाल
समस्त निवासीगण ग्राम देहरी कलॉ,
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा : जिला कलेक्टर भोपाल

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री बी0एन0कोचर, अभिभाषक–अपीलार्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 9/6/16 को पारित)

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल के न्यायालय में ग्राम देहरीकलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित

भूमि सर्वे कमांक 153/1/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर भूमि जो शासन द्वारा उनके पिता को भूमिहीन होने से पट्टे पर प्रदान की गई थी, को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण आवेदन पत्र की जॉच हेतु अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार हुजूर को प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जॉच तहसीलदार के माध्यम से करायी जाकर प्रतिवेदन सहित प्रकरण कलेक्टर जिला भोपाल को प्रेषित किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण के आवेदन पत्र पर विचार कर आवेदन पत्र दिनांक 19–3–2014 को निरस्त कर दिया गया । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–3–2014 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–2–2015 को अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपीलार्थीगणों के स्वर्गीय पिता एवं पति स्व0ब्रजलाल आत्मज बट्टूलाल को उसके जीवनकाल में मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 19–9–2000 के परिपालन में ग्राम देहरीकलॉ स्थित भूमि खसरा कमांक 153/1/2 रकबा एक हेक्टेयर अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के कारण शासन द्वारा आवंटित की गई थी, उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि अपीलार्थीगणों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा उन्हें भूमि अधिकार शासन द्वारा प्रदान किये जा चुके हैं एवं ऋण पुस्तिका भी प्रदाय की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थी द्वारा पक्ष समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, ऐसा लिखा है, परन्तु इसके विपरीत अपीलार्थीगणों द्वारा यह बताया गया कि उसके पिता के स्वर्गवास होने के उपरांत उनके छह परिवार उक्त भूमि पर निर्भर हैं । इसके अलावा उनके पास किसी तरह का आजीविका का साधन नहीं है ।

(3) अपीलार्थीगण द्वारा बताया गया कि विक्रय करने के उपरांत वह अन्य भूमि क्रय कर रहे हैं, जो मात्रा में अधिक उपजाऊ है, क्योंकि भोपाल में भूमि की कीमत अत्यधिक है, परन्तु आस पास के अन्य जिलो में उसकी कीमत कम है, जो राशि उन्हें प्राप्त होगी, उससे वह अन्य स्थान पर भूमि क्रय कर रहे हैं, इस संबंध में उनके द्वारा जो भूमि क्रय की जा रही है, उसका विक्रय अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुये आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) वर्ष 2015 में शासन द्वारा संहिता की धारा 158(3) एवं 155(7बी) में संशोधन करते हुये मूल भूमिस्वामी का पटटा होने की दशा में 10 प्रतिशत जमा करने पर उसे हस्तान्तरणीय बनाने के आदेश दिये हैं । उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित है और नगर निगम सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित भूमि का पट्टा देने पर प्रतिबंध है । इसके अतिरिक्त अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रश्नाधीन भूमि की क़ीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपये है, अतः इतनी मूल्यवान भूमि को पटटे पर दिया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है । अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवकता द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि वर्ष 2015 में शासन द्वारा संहिता की धारा 158(3) एवं 155(7बी) में संशोधन करते हुये मूल भूमिस्वामी का पटटा होने की दशा में 10 प्रतिशत जमा करने पर उसे हस्तान्तरणीय बनाने के आदेश दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान संहिता में नहीं है और न ही इस प्रकार का कोई संशोधन हुआ है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है। इस प्रकरण में यह विधिक

आवश्यकता है कि कलेक्टर को निर्देश दिये जाये कि प्रकरण में मूल आवंटन को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर विधिवत् जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त करते हुये प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर विधिवत् जॉच कर यथोचित कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर